FORM-II
(for projects other than linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector Garhwal.

No 648/26- प्रशा० अधि० (वन०प्रशा०) 2015 Dated 14-10-15

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that **3.078** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **C.D. PWD Baijro** (name of user agency) for **Extention of Maikhuli -Devradi -Kaflekh-Kathurkhal Motor Road. Length 10.000 km** . (purpose for diversion of forest land) in Pauri Garhwal district falls within jurisdiction of **Kaflekh, chounda, jainty, Sundargaoun** village (s) in **Thalisain** tehsils.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **3.078** hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to annexure II.

(b) the proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concered Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;

(c) the each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the garm sabha of **Kaflekh, chounda, jainty, Sundargaoun** villages(s) is enclosed as annexure III to annexure VIII.

(d) the discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;

(e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(f) the rights of Primitve Tribal Groups and Pre-Agricultural communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Encl :- As above.

(Chandra Shekhar Bhatt)
District Collector, Garhwal
DM/Collector
Garhwal

:: प्रारूप–30 ::

FORM-1
(for linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector Garhwal.

No 648/26-प्रशा० अधि० (लो० प्रशा०) 2015 Dated 14-10-15

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **3.078** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Executive Engineer, Division C.D. PWD Baijro** for **Extention of Maikhuli - Devradi -Kaflekh-Kathurkhal Motor Road, Length 10.000 km** . (purpose for diversion of forest land) in **Pauri Garhwal** district falls within jurisdiction of **Kaflekh, chounda, jainty, Sundargaoun** village (s) in **Thalisain** tehsils.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **3.078** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to annexure **II.**

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve reognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl:- As above.

(Chandra Shekhar Bhatt)
District Collector, Garhwal
DM/Collector
Garhwal

:: प्रारुप–30.1 ::

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT GARHWAL (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Garhwal** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of **Mr. Chandra Shekhar Bhatt** I.A.S deputy commissioner **Garhwal** on dated 14-10-15 at time 4:00 Pm at **Pauri** in which application claiming rights in **Sundola Baakhal** area measuring **3.078** hect for the construction **Extention of Maikhuli -Devradi -Kaflekh-Kathurkhal Motor Road. Length 10.000 km** . forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of **Thalisain** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place:..Pauri.....

Dated:..14-10-15

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee

District Garhwal

It is further Certified that minutes of meeting of Extention of Maikhuli -Devradi -Kaflekh-Kathurkhal Motor Road. Length 10.000 km regarding F.R.A. is as following:-

Sl. No.		Remarks
(a)	The Complete process of identification and settlement of rights under the FRA had been carried out for the entire **3.078** hectares area proposed for diversion. A copy of record of all consultation and meeting of the forest rights committee (s). Sub Division level committee (s) are enclosed as annexure.	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.
(b)	The Diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the gram sabhas have been given consent to it.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to Scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. No Objection certificate concerned villages regarding construction of aforesaid construction of motor road is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive tribal groups and pre agricultural Communities.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

Member District Board
Pauri Garhwal

District Social Welfare Officer
Pauri Garhwal

Divisional Forest Officer
Pauri Garhwal

Executive Engineer
P.W.D. Division Baijro

Deputy Commissioner
Pauri Garhwal
DM/Collector
Garhwal

दिनांक 14-10-2015 को जिलाधिकारी गढ़वाल की अध्यक्षता में आयोजित अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियन 2007 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थिति रही :—

1— सर्व श्री चन्द्रशेखर भट्ट	जिलाधिकारी गढ़वाल	अध्यक्ष
2— श्री रमेश चन्द्र	प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग	सदस्य
3— श्री रतन सिंह रावत	जिला समाज कल्याण अधिकारी, पौडी	सदस्य
4— श्रीमती कमला	जिला पंचायत सदस्य	सदस्य

बताया गया कि **जनपद पौड़ी गढ़वाल में विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के विकास खण्ड थलीसैण के अन्तर्गत मैखुली–देवराड़ी–कफलेख–चौण्डा–कटूरखाल मोटर मार्ग का विस्तार, लम्बाई 10.000 कि0मी0** के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण होना प्रस्तावित है, जिनके प्रस्ताव प्राप्त किये गये हैं। उक्त मार्गों हेतु उप स्तरीय समिति द्वारा वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सभी कार्यवाही करते हुये निर्धारित प्रपत्र निर्गत किये गये हैं। मार्ग का विवरण निम्नवत् है :—

1— **जनपद पौड़ी गढ़वाल में विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के विकास खण्ड थलीसैण के अन्तर्गत मैखुली–देवराड़ी–कफलेख–चौण्डा–कटूरखाल मोटर मार्ग का विस्तार, लम्बाई 10.000 कि0मी0** :— यह मार्ग मैखुली–देवराड़ी–कफलेख–चौण्डा के कि0मी0 6.000 से आरम्भ होकर ग्राम कि0मी0 10.000 में दैड़ा को जोडेगा। इस मार्ग के निर्माण से 1. कफलेख, 2. सुन्दरगॉव 3. चौण्डा, 4. जैंती 5. तोल्यूँ व दैड़ा ग्राम लाभान्वित होंगे। उक्त ग्रामों की आबादी क्रमशः 131, 259, 216, 97, 89 व 206 है। इस प्रकार इस मोटर मार्ग के निर्माण से कुल 999 जनसंख्या लाभान्वित होगी जो कि अभी तक किसी भी मोटर मार्ग से नहीं जुडी है। जिसमें **6580** (मी0) नाप भूमि से, **2140** (मी0) सिविल भूमि से, **540** (मी0) वन पंचायत से, **740** (मी0) आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखण/स्थल के चयन में कुल **5.922** है0 नाप भूमि, **1.926** है0 सिविल भूमि, **0.486** है0 वन पंचायत भूमि, **0.666** है0 आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल **3.078** है0 वन भूमि प्रभावित होगी। मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि पर कोई आदिवासी, जनजाति एवं परम्परागत वनवासी प्रभावित नही हो रहे हैं। इस सम्बन्ध में खण्ड स्तरीय समिति थलीसैण द्वारा अपनी संस्तुति दी गई है। उक्त ग्रामों को मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु अन्य विकल्पों पर विचारोंपरान्त प्रस्तावित समरेखण ही उपयुक्त पाया गया है।

कमला
सदस्य
जिला पंचायत 36 [illegible]
पौड़ी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)

निर्णय

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता प्राप्त) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2007 के अन्तर्गत गठित उपखण्ड स्तरीय समिति थलीसैंण से प्राप्त थलीसैंण ब्लाक में जनपद पौड़ी गढ़वाल में विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के विकास खण्ड थलीसैंण के अन्तर्गत मैठुली–देवराड़ी–कफलेख–चौण्डा – कटूरखाल मोटर मार्ग का विस्तार, लम्बाई 10.000 कि0मी0 मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित सिविल भूमि क्रमशः 6580 (मी0) नाप भूमि से, 2140 (मी0) सिविल भूमि से, 540 (मी0) वन पंचायत से, 740 (मी0) आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखण/स्थल के चयन में कुल 5.922 हे0 नाप भूमि, 1.926 हे0 सिविल भूमि, 0.486 हे0 वन पंचायत भूमि, 0.666 हे0 आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 3.078 हे0 वन भूमि प्रभावित होगी लोक निर्माण विभाग को उप खण्ड स्तरीय समिति की संस्तुति के आधार पर जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति प्राप्त की गई है।

सभी उपस्थित सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक का समापन किया गया।

(चन्द्रशेखर भट्ट) आई0ए0एस0
जिलाधिकारी
जिलाधिकारी
गढ़वाल(पौड़ी)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 बैजरो, गढ़वाल

पत्रांक 1044 / 14 दिनांक 14.10.15

प्रतिलिपि – 1– जिला समाज कल्याण अधिकारी पौडी गढ़वाल को सूचनार्थ प्रेषित।
2– प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी को सूचनार्थ प्रेषित।

(आर0पी0 सिंह)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
बैजरो (गढ़वाल)

:: प्रारुप–30.2 ::

परियोजना का नाम :– मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत मैखुली–देवराड़ी–कफलेख – कतूरखाल मोटर मार्ग का विस्तार। लम्बाई 10.000 कि0मी0

कार्यालय उप जिलाधिकारी, थलीसैण
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, थलीसैण

उपखण्ड धुमाकोट परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल में ~~धुमाकोट~~ श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के ~~दिगोलीखाल से आसों कुल~~ उपरोक्त मोटर मार्ग नव निर्माण के लिये (0.666 हे0 आरक्षित वन भूमि, 1.926 हे0 सिविल वन भूमि, 0.486 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 3.078 हे0 वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील थलीसैण) की दिनांक 11.10.2015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री [illegible] जोशी, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री [illegible] जोशी —उपजिलाधिकारी — थलीसैण —अध्यक्ष
2– श्री S. K. Kala —उप प्रभागीय वनाधिकारी — [illegible] —सदस्य
3– श्री [illegible] —सहायक समाज कल्याण अधिकारी — थलीसैण —सदस्य/सचिव
4– श्री [illegible] देवी —बी0डी0सी0 क्षेत्र — [illegible] वार्ड 40 —सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत मैखुली–देवराड़ी–कफलेख – कतूरखाल मोटर मार्ग का विस्तार। लम्बाई 10.000 कि0मी0 हेतु 3.078 हे0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, थलीसैण द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन–निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड धुमाकोट परिक्षेत्र के अन्तर्गत कि मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत मैखुली–देवराड़ी–कफलेख – कतूरखाल मोटर मार्ग का विस्तार। लम्बाई 10.000 कि0मी0 हेतु 3.078 हे0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

भागरथी देवी
सदस्या
क्षेत्र पंचायत चौण्डा वार्ड 40
वि0ख0 थलीसैंण (पौड़ी गढ़वाल)

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील थलीसैण
जनपद पौड़ी गढ़वाल

प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप प्रभागीय वनाधिकारी
गढ़वाल वन प्रभाग
थलीसैंण

सहायक समाज कल्याण
अधिकारी
वि0ख0 थलीसैंण पौड़ी

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील (थलीसैण)
जनपद पौड़ी गढ़वाल

:: प्रारुप–30.3 ::

परियोजना का नाम :– मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत मैखुली–देवराड़ी–कफलेख – कठूरखाल मोटर मार्ग का विस्तार। लम्बाई 10.000 कि0मी0

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र
ग्राम पंचायत का नाम ...चौण्डा...
तहसील – थलीसैण, जिला पौड़ी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत कि अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत मैखुली–देवराड़ी–कफलेख – कठूरखाल मोटर मार्ग का विस्तार। लम्बाई 10.000 कि0मी0 के निर्माण हेतु ((0.666 हे0 आरक्षित वन भूमि, 1.926 हे0 सिविल वन भूमि, 0.486 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 3.078 हे0 वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत चौण्डा............ द्वारा दिनांक 20.3.15 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम .... चौण्डा..................... के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग को अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत मैखुली–देवराड़ी–कफलेख – कठूरखाल मोटर मार्ग का विस्तार। लम्बाई 10.000 कि0मी0 के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0
ग्राम सचिव
मुहर सहित

ह0/– कमलेश्वरी देवी
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

:: प्रारुप–30.4 ::

दिनांक २०.१.१५ को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ....चौण्डा....

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	मनीराम S/O किशनराम ग्राम चौण्डा	मनीराम
2	[illegible]सिंह S/O केसरसिंह	[illegible]सिंह
3	राजेन्द्र सिंह सगोत्र राजेन्द्रसिंह	कमला देवी
4	भवानसिंह s/o सुन्दरसिंह	भवानसिंह
5	दयालसिंह S/O चिड्डूसिंह चौण्डा	दयालसिंह
6	कल्याणसिंह S/O रामदत्त चौण्डा नि०	
7		
8	~~[illegible]सिंह S/o~~	उमेदसिंह
9	कल्याणसिंह S/O आशासिंह	कल्याणसिंह
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		

सरपंच ह० दयालसिंह
वन पंचायत चौण्डा [illegible]
पट्टी–चोपान कोट्टी गढ़वाल [illegible]

ह0/–
ग्राम प्रधान कमलेश्वरी देवी

:: प्रारुप–30.3 ::

परियोजना का नाम :– मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत मैखुली–देवराड़ी–कफलेख – कलूरखाल मोटर मार्ग का विस्तार। लम्बाई 10.000 कि0मी0

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र
ग्राम पंचायत का नाम [illegible]
तहसील -- थलीसैण, जिला पौड़ी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत कि अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत मैखुली–देवराड़ी–कफलेख – कलूरखाल मोटर मार्ग का विस्तार। लम्बाई 10.000 कि0मी0 के निर्माण हेतु (0.656 है0 आरक्षित वन भूमि, 1.926 है0 सिविल वन भूमि, 0.496 है0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 3.078 है0 वन भूमि) के लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सुन्दरगाँव ---- द्वारा दिनांक [illegible] को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम .... सुन्दरगाँव ---- के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग को अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत मैखुली–देवराड़ी–कफलेख – कलूरखाल मोटर मार्ग का विस्तार। लम्बाई 10.000 कि0मी0 के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0 [signature]
ग्राम सचिव
मुहर सहित

[signature, stamp]
दिनांक 2/10/2015
मुहर सहित

:: प्रारुप—30.4 ::

63

दिनांक 19.1.15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ....

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	[illegible]
12	[illegible]	[illegible]
13	[illegible]	[illegible]
14	[illegible]	[illegible]
15	[illegible]	[illegible]
16	[illegible]	[illegible]
17	[illegible]	[illegible]
18	[illegible]	[illegible]

ह0/

ग्राम प्रधान

:: प्रारुप–30.3 ::

परियोजना का नाम :– मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत मैखुली–देवराड़ी–कफलेख – कटूरखाल मोटर मार्ग का विस्तार। लम्बाई 10.000 कि0मी0

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र
ग्राम पंचायत का नाम देडा एवं राजस्व ग्राम जैंती और तोल्यू
तहसील – थलीसैण, जिला पौड़ी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत कि अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत मैखुली–देवराड़ी–कफलेख – कटूरखाल मोटर मार्ग का विस्तार। लम्बाई 10.000 कि0मी0 के निर्माण हेतु ((0.666 हे0 आरक्षित वन भूमि, 1.926 हे0 सिविल वन भूमि, 0.486 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 3.078 हे0 वन भूमि) को लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत - देडा - द्वारा दिनांक 22.9.16 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया के ग्राम .... देडा.................. के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग को अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत मैखुली–देवराड़ी–कफलेख – कटूरखाल मोटर मार्ग का विस्तार। लम्बाई 10.000 कि0मी0 के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0
ग्राम सचिव
मुहर सहित

प्रधान ग्राम पंचायत देडा
अनिता देवी
दिनांक ....
मुहर सहित

:: प्रारुप–30.4 ::

दिनांक 28/9/2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत डैंडा [illegible] ग्राम - जैंती व तोल्यू

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	मंगलसिंह S/o लक्ष्मण सिंह डैंडा	मंगलसिंह
2	नारायण सिंह S/o दयालसिंह डैंडा बिसौट	नारायणसिंह
3	आनन्द सिंह S/o नैन सिंह डैंडा	आनन्दसिंह
4	प्रेम सिंह S/o हरक सिंह डैंडा	प्रेमसिंह
5	धन सिंह S/o किशन सिंह डैंडा	धनसिंह
6	मंगल सिंह S/o नैन सिंह डैंडा	मंगलसिंह
7	उम्मेद सिंह S/o [illegible] सिंह जैंती	उम्मेदसिंह
8	रणजीत सिंह S/o [illegible] सिंह जैंती	रणजीतसिंह
9	देवसिंह S/o मंगल सिंह डैंडा	देवसिंह
10	भोपाल सिंह S/o गंगा सिंह तोल्यू	भोपाल सिंह
11	प्रेम सिंह S/o राम सिंह जैंती	प्रेमसिंह [illegible]
12	गोविन्द सिंह S/o [illegible] सिंह जैंती	गोविन्द [illegible]
13	गणेश सिंह S/o बसन्त सिंह जैंती	गणेश जैतवाल
14	रतन सिंह S/o पंचम सिंह जैंती	रतनसिंह
15	पदम सिंह S/o खुशाल सिंह डैंडा	पदमसिंह
16	भवान सिंह S/o धाम सिंह जैंती	भवान सिंह
17	देवसिंह S/o रतन सिंह तोल्यू	देवसिंह
18	भवान सिंह S/o मंगल सिंह तोल्यू	भवानसिंह

अध्यक्ष
वन पंचायत ग्राम जैंती [illegible]
[illegible]
[illegible]

ह0/-
ग्राम प्रधान

19 छेदन सिंह S/o मोहन सिंह [illegible]	छेदनसिंह
20 मान सिंह S/o केशर सिंह [illegible]	मानसिंह
21 भवान सिंह S/o दौलत सिंह [illegible]	भवानसिंह
22 बैशाख सिंह S/o नैन सिंह [illegible]	बैशाकसिंह
23 गोपाल सिंह S/o केवल सिंह [illegible]	गोपालसिंह
24 लाल सिंह S/o धन सिंह [illegible]	लालसिंह
25 जगत सिंह S/o किशन सिंह [illegible]	जगतसिंह
26 इन्द्र सिंह S/o धनि सिंह [illegible]	इन्द्रसिंह
27 रूप सिंह S/o धन सिंह [illegible]	रूप सिंह
28 हरक सिंह S/o किशन सिंह [illegible]	हरक सिंह
27 नैन सिंह S/o [illegible] सिंह [illegible]	नैनसिंह
30 ठाकुर सिंह S/o [illegible] सिंह [illegible]	ठाकुरसिंह
31 नारायण सिंह S/o भगवान सिंह [illegible]	[illegible]
32 त्रिलोक सिंह S/o धर्म सिंह [illegible]	[illegible]
33 कमल सिंह S/o श्री श्याम सिंह	[illegible]
34 प्रेम सिंह S/o श्री हरक सिंह	[illegible]